राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2025/165 —:आदेश:— दिनांक 25-04-2025

प्रार्थी श्री पकाराम पुत्र हकमाजी मेघवाल निवासी लालराई के तरमीम शुद्धि प्रार्थना पत्र एवं जांच रिपोर्ट तहसीलदार बाली की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के अनुसरण में ग्राम लालराई पटवारी हलका सेसली तहसील बाली के खसरा नंबर 305/1395 व 305 की माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली के अनुरूप नक्शे में तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाली व पटवारी हलका सेसली द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा व रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावें।

नोट :– उक्त आदेश से रकबा में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा।

25/4/025

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

दिनांक 25-04-2025

कमांक/कोर्ट/2025/395-397

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का सेसली को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री पकाराम पुत्र हकमाजी मेघवाल निवासी लालराई को सूचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

25/4/025

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बाली जिला—पाली(राज.)

क्रमांक/भू.अ./2025/3357 दिनांक 2/01/2025

प्रेषितिः— न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी महोदय,
बाली

विषयः— प्रार्थी श्री पकाराम पुत्र हकमाजी मेघवाल, निवासी लालराई के प्रार्थना पत्र बाबत् कृषि भूमि के राजस्व नक्शा को ऑनलाईन गलत तरमीम के शुद्विकरण बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय में प्रार्थी श्री पकाराम पुत्र हकमाजी मेघवाल, निवासी लालराई तहसील बाली द्वारा गाम लालराई के खसरा नं.305/1395, रकबा 0.50 हैक्ट., कि सेग्रीगेशन के दौरान हुई तरमीम त्रुटि की शुद्वि हेतु प्रार्थना पत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसकी जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का सेसली से ली गई, जांच रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार है:—

1. यह है कि ग्राम लालराई के खसरा नं. 305/1395 रकबा 0.50 हैक्ट, किस्म बारानी अव्वल पकाराम उर्फ पुखराज पुत्र हकमाजी, जाति मेघवाल खातेदार दर्ज है। खसरा नं. 305 रकबा 0.20 हैक्ट शांतिबाई पत्नि हीराराम वगैरा, कौम मीणा खातेदार दर्ज है। एवं खसरा नं. 305/1 रकबा 0.4 हैक्ट, राजकीय सिवायचक दर्ज है। उपरोक्त खातेदारी जरिये आवंटन दर्ज हुई थी। डी.आई.0एल.आर.एम.पी. कार्यक्रम के दौरान वन टू वन मैपिंग के दौरान नक्शा लट्ठा एवं ऑनलाईन शीट में की गई थी। मौके पर उक्त खातेदारा के कब्जे अनुसार ही रेकर्ड में तरमीम की गई है। लेकिन खसरा नं. 305/1395, रकबा 0.50 हैक्ट के वर्तमान नक्शें की रकबा बरारी करने पर रकबा 0.47 हैक्ट ही बनता है एवं खसरा नं. 305 रकबा 0.20 की रकबा बरारी करने पर रकबा 0.23 बनता है। जबकि मौके पर कब्जा जमाबंदी रकबे अनुसार ही है एवं धोरा पाली की हुई है। अतः राजस्व नक्शे में खसरा नं. 305/1395, की उत्तरी पूर्वी भुजा को 03 मीटर आगे खिसका दिया जाये, तो दोनो खसरों का नक्शा जमाबंदी के अनुसार होगा।

अतः श्रीमानजी से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 का होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः— पटवारी हल्का सेसली की मूल रिपोर्ट।

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

Scanned with CamScanner

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार साहब
बाली

LR
[signature] 2/7/24

विषय:- कृषि भूमि के राजस्व नक्शा को आनलाइन गलत तरमीम के शुद्धिकरण बाबत प्रार्थना पत्र श्री पकाराम पुत्र हकमाजी मेघवाल नि: लालराई

प्रसंग:- श्रीमान के पत्रांक/LR/2024/1449 दि: 10.6.24 के क्रम में

महोदयजी,
उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम लालराई के ख.नं. $\frac{305}{1395}$ के खातेदार पकाराम ने प्रार्थना पत्र पेश कर तरमीम शुद्ध करने का निवेदन किया था-

महोदय यह है कि ग्राम लालराई के ख.नं. 305/1395 रकबा 0.50 हे. किस्म बा.अ. पकाराम उर्फ पुखराज पुत्र हकमा जाति मेघवाल खातेदार दर्ज है। ख.नं. 305 रकबा 0.20 हे. शांतिबाई w/o हीराराम बगैरा मीणा खातेदार दर्ज है एवं 305/1 रकबा 0.04 हे. राजकीय सिवाय चक भूमि दर्ज है। उपरोक्त खातेदारी जरिये आवंटन दर्ज हुई थी। DILRMP कार्यक्रम के तहत One to One Maping के दौरान उक्त तरमीम नक्शा लट्ठा एवं ऑनलाइन शीट में की गई। मौके पर उक्त खातेदारो के कब्जे अनुसार ही रेकर्ड में तरमीम की गई है लेकिन ख.नं. 305/1395 रकबा 0.50 हे. के वर्तमान नक्शे की रकबाबरारी करने पर रकबा 0.47 हे. ही बनता है तथा ख.नं. 305 रकबा 0.20 हे. की रकबा बरारी करने पर रकबा 0.23 हे. बनता है जबकि मौके पर कब्जा जमाबंदी रकबे अनुसार ही है एवं धोरा-पाली की हुई है। अत: राजस्व नक्शे में ख.नं. 305/1395 की उत्तरी पूर्वी रजा को 03 मीटर आगे खिसका दिया जाये तो दोनो खसरो का रकबा जमाबंदी अनुसार होगा तथा मौके पर पहले ही धोरा-पाली उपरोक्तानुसार ही है अत: मौके पर कोई परिवर्तन नहीं होगा।

जांच रिपोर्ट श्रीमान जी को सादर प्रेषित है।

संलग्न
(1) नक्शा
(2) जमाबंदी
(3) हल प्रार्थना पत्र

दि: 28.6.2024

[signature]
पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल...देसूरी..
तह.बाली, जि.पाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 28/06/2024 02:53:43 PM

जिला : पाली तहसील : बाली भू. अ. नि. क्षेत्र : बाली

पटवारी हल्का : सेसली ग्राम : लालराई

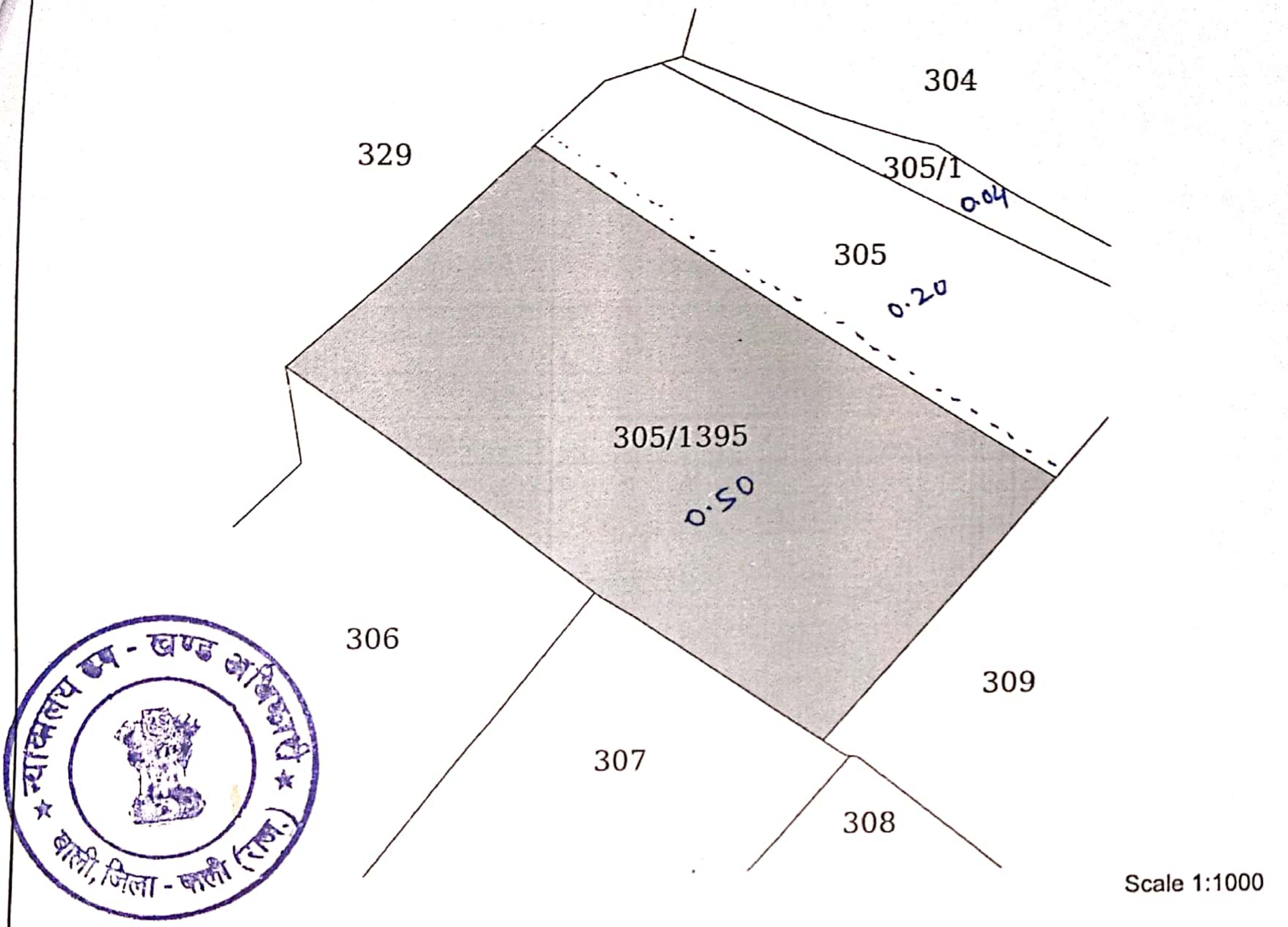

Scale 1:1000

खसरा संख्या :305/1395 क्षेत्रफल : 0.5000 Hectare खाता संख्या : 220पुराना खाता संख्या :192

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी अव्वल [0.5000, 3.50]

1.) पकाराम उर्फ पुखराज पुत्र हकमा हिस्सा- पूर्ण जाति- मेगवाल सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाली

जांच में सही

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

पटवार हल्का सेसली

तह.बाली, जि.पाली

28.6.24

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned with CamScanner